प्रेस नोट दिनांक 01/02.06.2026

थाना बिनावर,बदायूँ

थाना बिनावर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 17/18.05.2026 को ग्राम दियोरीजीत में घर के बाहर बंधी भैंसो को लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 121/2026 धारा 310(3)/317(3) बीएनएस व ग्राम तकीपुर में भैंस चोरी करने पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 303(3)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किये गये थे,अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद भैंस , अवैध शस्त्र व कारतूस व नगद 8000/- रुपये बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद बदायूँ द्वारा मुकदमों के अनावरण हेतु निर्देश दिये गये थे आदेश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व मे थाना बिनावर पर पंजीकृत मुकदमा का सफल अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी / माल बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी थी।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2026 को रात्रि में पुलिस चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर दिनांक 17/18.05.2026 की रात्रि में ग्राम दियोरीजीत से दो भैंसो को लूटने व दिनांक 01.06.2026 को ग्राम तकीपुर से एक भैंस चोरी हुई थी जिसे लेकर वह जंगल के रास्ते बिनावर से बरेली- मथुरा निर्माणधीन वाईपास आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बिनावर से बरेली- मथुरा निर्माणधीन वाईपास पर पहुंचे तो बदमाश पुलिस पार्टी को देखकर भैंस को छोड़कर भागने लगा, भागता देख पुलिस टीम द्वारा

पीछा करने पर हडबडाहट में फिसल कर गिर गया तब पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण के लिये कहा लेकिन बदमाश द्वारा आत्मसमर्पण न करके पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से असलाह से फायर किये, जिसमें आरक्षी 459 अंकुर कुमार गोली लगने से घायल हो गया। तब पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ बदमाश पर जबाबी फायरिंग की गयी तो 01 नफर अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र मो0 शकील निवासी ग्राम नदरई थाना कासगंज जनपद कासगंज हाल निवासी नाहारका सराय वार्ड न0 6 थाना कोतवाली शहर जनपद बदायूँ को दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरक्षी व अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल बदायूँ भेजा गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद भैंस , 8000/- रूपये व एक अदद तमंचा 315 बोर , तीन खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। पुलिस मुठभेड़ की घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. गिरफ्तार अभियुक्त पूछताछ विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र मो0 शकील निवासी ग्राम नदरई थाना कासगंज जनपद कासगंज हाल निवासी नाहारका सराय वार्ड न0 6 थाना कोतवाली शहर जनपद बदायूँ ने बताया कि मैं अपने अन्य साथियो के साथ भैस चोरी / लूट की घटना कारित करते हैं।

3. गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 121/26 धारा 310(3)/317(3) BNS, थाना बिनावर जनपद बदायूँ

02. मु0अ0सं0 132/26 धारा 303(3)/317(2) बीएनएस थाना बिनावर जनपद बदायूँ,

4. अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

एक अदद भैंस व 8000/- रूपये , एक अदद तमंचा 315 बोर तथा तीन खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

5. गिरफ्तार करने वाली टीम थाना बिनावर जनपद बदायूँ

1. अरिहन्त कुमार सिद्धार्थ थाना प्रभारी थाना बिनावर बदायूँ
2. व0उ0नि0 बलवीर सिंह
3. का0 938 जतिन कुमार
4. का0 2078 शुभम कुमार
5. का0 459 अकुर कुमार

मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।